

अनौपचारिक टिप्पणी

विषय: अधीक्षक रेडियोग्राफर एवं रेडियोग्राफर पदों की पदौन्नति हेतु नियमों में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग द्वारा अधीक्षक रेडियोग्राफर एवं रेडियोग्राफर पदों की पदौन्नति हेतु नियमों में संशोधन कर अधिसूचना की प्रति भिजवाई है जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


ह०
(डॉ. बी.एल.सैनी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

डीपीसी सीट,
अराजपत्रित अनुभाग
कमरा नं० 103, मुख्यालय

क्रमांक: ई-33/रेडियो/2017/539

दिनांक : 14-11-17

प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संलग्न अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.2(1)डीओपी/ए- II/82 पार्ट- II

जयपुर, दिनांक : 12.10.2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।


2. **अनुसूची-I का संशोधन.**— राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965, से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष **ग्रुप क v पैरा चिकित्सा संवर्ग (चिकित्सा)** के अधीन—

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“18 वर्ष की कुल सेवा सहित स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।”, और

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति “2 वर्ष” के स्थान पर अभिव्यक्ति “5 वर्ष” प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,


(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

53/2017

P.T.O

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr-II)**

No. F. 2(1)DOP/A-II/82 pt. II

Dated : 12.10.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965 namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule I.- In Schedule I appended to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965 under the heading **Group A-V Para Medical Cadre (Medical)**,-

- (i) the existing entries in column 6, against serial number 1 shall be substituted by the following, namely :-
"3 years experience on the post mentioned in column 5 with total service of 18 years."; and
- (ii) in column 6, against serial number 3, for the existing expression "2 years", the expression "5 years" shall be substituted.

By Order and in the name of the Governor

(Sunil Sharma)

Joint Secretary to the Government

53/2017

21/10/17